राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (268)आकाशि / नि.सं. / 2004 / 283 दिनांक- 12-5-2022

आदेश

कान्ता उपाध्याय स्मृति शिक्षण एवं शोध संस्थान, जयपुर द्वारा संचालित **ज्ञान दीप महाविद्यालय, लूनियावास, गोनेर रोड़, जयपुर** जो कि विभाग द्वारा सत्र 2007–08 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक है। आयुक्तालय के आदेश दिनांक 28.12.2004, 20.06.2006 एवं 04.01.2010 के तहत स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक निजी महाविद्यालय नवीन विषय / संकाय हेतु सीधे ही संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर सकते थे। उक्त संस्था द्वारा सत्र 2007–08 से संस्था मे स्नातकोत्तर स्तर पर विषय राजनीति विज्ञान, सत्र 2008–09 से हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र एवं सत्र 2010–11 से भूगोल, इतिहास एवं सत्र 2012–13 से ई.ए.एफ.एम. संचालित है। संस्था द्वारा उपरोक्त संकायो की सम्बद्धता संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त कर संचालित थी।

इस संबंध मे राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् निजी महाविद्यालय नीति 2021–22 के बिन्दु संख्या 32 के अन्तर्गत **ज्ञान दीप महाविद्यालय, लूनियावास, गोनेर रोड़, जयपुर** को सत्र 2007–08 से संस्था में स्नातकोत्तर स्तर पर विषय राजनीति विज्ञान, सत्र 2008–09 से हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र एवं सत्र 2010–11 से भूगोल, इतिहास एवं सत्र 2012–13 से ई.ए.एफ.एम. को नियमितीकरण की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त विषयों में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर